पत्र संख्या-कम्प्यूटर-ई-रिटर्न-(2011-2012) / 810 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनॉक // लखनऊ // दिसम्बर, 28, 2011

1- **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
2- **समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**

विषय: आन लाइन रिटर्न हेतु व्यापारियों को पासवर्ड जारी करने तथा केन्द्रीय फार्म आन लाइन जारी करने हेतु व्यापारियों को यूजर रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-कम्प्यूटर-ई-रिटर्न-(2011-12) / 562 / वाणिज्य कर दिनांक 12-10-2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आन-लाइन रिटर्न हेतु व्यापारियों को पासवर्ड जारी करने तथा केन्द्रीय फार्म आन-लाइन जारी करने हेतु व्यापारियों का यूजर रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। इस व्यवस्था की समीक्षा के उपरान्त अग्रेतर निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1- केन्द्रीय फार्म आनलाइन प्राप्त करने हेतु अभी तक बहुत कम व्यापारियों द्वारा यूजर रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया है। दिनांक 01-01-2012 से केन्द्रीय फार्म आनलाइन जारी करने की व्यवस्था को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है तथा यह कार्य मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कम्प्यूटराइजेशन का एक Milestone भी है। अत: आवश्यक है कि केन्द्रीय अधिनियम में पंजीकृत सभी व्यापारियों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र आनलाइन यूजर रजिस्ट्रेशन कराया जाय अन्यथा उन्हे नियत तिथि से केन्द्रीय फार्म आन लाइन जारी किया जाना सम्भव नही हो पायेगा।

अत: कृपया अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों को निदेर्शित करने का कष्ट करें कि वह व्यापारियों को प्रेरित करते हुये केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अधिकाधिक व्यापारियों का यूजर रजिस्ट्रेशन करायें। साथ ही कृपया अपने स्तर से भी व्यापारिक संघों / अधिवक्ता संघों की बैठक कर उन्हें इस सम्बन्ध में जागरुक करने का कष्ट करें ताकि केन्द्रीय फार्म आनलाइन जारी करने की व्यवस्था दिनॉक 01-01-2012 से सुचारु रुप से प्रारम्भ की जा सके।

2- वर्तमान व्यवस्था में व्यापारी का ई-रिटर्न पासवर्ड Lock हो जाने पर जब पासवर्ड Reset किया जाता है, तो नया पासवर्ड व्यापारी के पंजीयन प्रार्थना पत्र अथवा अपनी प्रोफाईल में उपलब्ध कराये गये ई-मेल पर स्वत: जनरेट होकर चला जाता है, परन्तु यदि किन्हीं कारणों से व्यापारी यह ई-मेल खोलने में असमर्थ हो गया है तो व्यापारी द्वारा अपना ई-मेल बदलने का अनुरोध किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में व्यापारी को अपना ई-मेल पता बदलने हेतु अपने कर-निर्धारक अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देना होगा। कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित इस प्रार्थना पत्र को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा जायगा जो वेबसाईट पर ई-मेल अपडेट करने की कार्यवाही करेगें। यह समस्त कार्यवाही दो दिन के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जानी आवश्यक होगी।

3- ई-रिटर्न पासवर्ड प्राप्त करने अथवा आन-लाइन केन्द्रीय फार्म प्राप्त करने हेतु आन-लाइन यूजर रजिस्ट्रेशन कराते समय यदि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत ऑकड़े विभागीय सर्वर पर उपलब्ध ऑकड़ों से मेल नहीं खाते है तो कम्प्यूटर स्क्रीन पर Error प्रदर्शित होता है। ऐसे मामलों में पंजीयन प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक एकाउण्ट व अन्य विवरणों के अपूर्ण अथवा

-- 2

परिवर्तित हो जाने के कारण आयी Error को दूर कराने के लिए व्यापारी को धारा-75(i) के अन्तर्गत कर-निर्धारक अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्राप्त करना होगा। कर निर्धारक अधिकारी इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए अपनी संस्तुति पंजीयन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें जो निर्धारित प्रक्रिया से संशोधित विवरण वेबसाइट पर अपडेट कर देगें। यह समस्त कार्यवाही तीन दिन के अन्दर पूरी कर ली जानी आवश्यक होगी।

कृपया उक्त निर्देशों का निष्ठा से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

15.12

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।